



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21022023-243758
CG-DL-W-21022023-243758

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, फरवरी 5—फरवरी 11, 2023, शनिवार/ माघ 16—माघ 22, 1944
No. 5] NEW DELHI, FEBRUARY 5—FEBRUARY 11, 2023, SATURDAY/ MAGHA 16—MAGHA 22, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपूर, अकानूनी विभागीय कैंटीन प्रबंधक सह-लेखाकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपूर, अकानूनी विभागीय कैंटीन प्रबंधक सह-लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, अकानूनी विभागीय कैंटीन, प्रबंधक-सह-लेखाकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रबंधक-सह-लेखाकार	*01(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400- 1,12,400 रुपये)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित और शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य या कारोबार अध्ययन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री; और

	टिप्पण:- आयु सीमा को अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र लाहोल हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और द्वीप-समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।)	ii. किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी या कानूनी संगठन में लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव।
--	---	--

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29,200-92,300 रूपए) या समतुल्य के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अनुभव रखता हो।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से बनकर बनेगी: 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष 2. आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य 3. सहायक आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य

टिप्पण-1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सर्विदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक सर्विदा सहित) की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	--

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (13) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/1/2016-एस.ए.]

ज्योत्स्ना गुप्त, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 8th February, 2023

G.S.R. 11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Non Statutory Departmental Canteen, Manager-cum-Accountant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Manager-cum-Accountant in the National Sugar Institute, Kanpur, Non Statutory Departmental Canteen under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Non Statutory Departmental Canteen, Manager-cum-Accountant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in Pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Manager-cum-Accountant.	01* (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 (Rs. 35,400 – 1,12,400).

Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangri sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) Bachelor's Degree in Commerce or Business Studies or Economics or Public Administration of a recognised University or institute; and (ii) Two years' experience in accounts work in any Government office or public sector undertaking or autonomous/ statutory organization.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Two years for direct recruitment.	Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(11)	(12)
Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or recognised research institutions or recognised Universities or	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation), consisting of:- 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur. - Chairperson

autonomous bodies or statutory organizations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level-5 (Rs. 29,200- 92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). Note 1: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	2. Professor, National Sugar Institute, Kanpur. -Member 3. Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur. -Member
---	---

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

Consultation with Union Public Service Commission not necessary

[F. No. A-12018/1/2016-SA]

JYOTSNA GUPTA, Dy. Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

[जल संसाधन विभाग(नदी विकास और गंगा संरक्षण)]

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 12—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवा, फोटोग्राफर, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवा, फोटोग्राफर, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2023 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फोटोग्राफर	2* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रूपए)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण ; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ललित कला या वाणिज्यिक कला में एक वर्ष का डिप्लोमा सहित फोटोग्राफी का अनुभव; (iii) स्थिर और चल फोटोग्राफी में दो वर्ष का अनुभव सहित सभी प्रशिक्षण सहायक जिसके अंतर्गत सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय या निजी संस्था से फोटोकापियर मशीन या ऊपरी परियोजना, आदि भी है, का कार्यसाधक ज्ञान; (iv) फोटोग्राफी के सभी प्रकार के कैमरे और आधुनिक तकनीकियों से अच्छी तरह से सुपरिचित।
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग

	या केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।			भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)			(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-			लागू नहीं होता।
1	वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे	अध्यक्ष	
2	वैज्ञानिक 'डी', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे	सदस्य	
3	केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी	सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/6/2021-ई-II]

विनोद कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI
(Department of Water Resources)

(River Development And Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 27th January, 2023

G.S.R. 12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services Photographer, (Group 'C' Post) Recruitment Rule, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographer in the Central Water and Power Research Station, Pune in the Ministry of Jal Shakti, (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation), namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services, Photographer, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Photographer	2*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' non-Gazetted, non-Ministerial.	Level -5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by SSC.	(i) 12 th standard pass from a recognised Board; and (ii) One Year Diploma in Fine or Commercial Arts from a recognised institute with experience of photography; (iii) two years experience in still or cine photography with working knowledge of all training aids including photocopier machine or overhead projector, etc., from Government or semi-Government office or private institutions; (iv) well conversant with all type of cameras and modern techniques of photography. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Central Government in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or deputation / absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods.
---	------------------------------	---

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee Group 'C' (for considering confirmation) consisting of: 1. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman; 2. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune - Member; 3. One Group 'A' Officer from some other Central Government Department -Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/6/2021-E-II]

VINOD KUMAR GUPTA, Under Secy.